न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **259 / 2024** अन्तर्गत धारा **251A RT Act.**

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. ईशराराम पुत्र देदाराम 2. कानाराम पुत्र रामलाल 3. खेमीदेवी पत्नी देदाराम 4. जगदीश पुत्र चौखाराम 5. दमाराम पुत्र चौखाराम 6. नारणाराम पुत्र देदाराम 7. पारूदेवी पत्नी चौखाराम 8. वनूदेवी पत्नी रामलाल जाति जाट, निवासी खेजड़ली तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. अनाराम पुत्र चौखाराम 2. देराजराम पुत्र चौखाराम जाति जाट, निवासी थूम्बली, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. कमलसिह पुत्र भंवरसिंह 4. कंवराजसिंह पुत्र भंवरसिंह 5. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह 6. अमरसिंह पुत्र पदमसिंह 7. कानसिह पुत्र चिमनसिंह 8. खेतसिंह पुत्र चिमनसिंह 9. टीला उर्फ टीलसिंह पुत्र जाना 10.तनसिंह पुत्र पदमसिंह 11. पालूकंवर पत्नी पदमसिंह 12. मूला उर्फ मूलसिह 13. रामसिंह पुत्र चिमनसिह 14. सरूपसिंह पुत्र चिमनसिंह 15. सवाईसिंह पुत्र पदमसिह 16. हड़वतसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपुत, निवासी थूम्बली,तहसील शिव, जिला बाड़मेर 17. भैरसिंह पुत्र पदमसिंह फौत के कायम मुकाम 17.1 खेतुकंवर पत्नी भैरसिंह 17.2 वसुधराकंवर पुत्री भैरसिंह 17.3 जोगराजसिंह पुत्र भैरसिंह 17.4 ओपिता पुत्री भैरसिह विप्रार्थी संख्या 17.2 से 17.4 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता खेतुकंवर जाति राजपुत, निवासी थूम्बली, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 18. तेजा पुत्र मलूका जाति ढाढी, निवासी रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर 19. उदीदेवी पत्नी भगाराम 20. रेखाराम पुत्र भगाराम 21. रतनाराम पुत्र भगाराम 22. चुतराराम पुत्र देदाराम 23. जेताराम पुत्र बागाराम 24. नेनूदेवी पत्नी बागाराम 25. देवाराम पुत्र बागाराम 26. पीराराम पुत्र बागाराम 27. नरसींगाराम पुत्र बागाराम जाति जाट, निवासी रावतसर हाल निवासी खेजड़ली, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 28. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा भाडखा 29. शाखा प्रबंधक, दी सेन्ट्रल कॉ—ऑपरेटिव बैंक शाखा शिव 30. तहसीलदार शिव

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण — श्री बालाराम गोदारा।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 19 से 27 — श्री हरीराम चौधरी।
3. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3 — श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
4. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 6, 9, 10, 12 से 15, 16 व 18 — श्री जेठाराम कुमावत।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 08.09.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 408/374 रकबा 18.6155 हैक्टेयर मौजा खेजड़ली, तहसील शिव में आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के मौजा थूम्बली, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 513/363, 509/361, 367, 368 रकबा क्रमशः 23.4798, 3.5936, 42.7347, 7.0091 हैक्टेयर व मौजा खेजड़ली, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 491/373, 49[illegible] 478/372, 479/372, 480/372, 481/372 रकबा क्रमशः 8.3147, 8.3147, 9.5020, 2[illegible]1, 5.[illegible]2, 2.7761 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत [illegible] गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी [illegible]दारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते [illegible] उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकट[illegible] लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:59:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है तथा रास्ते हेतु मौजा थूम्बली (नवसृजित ग्राम गंगासिंह नगर) में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 513/363 रकबा 23.4798 हैक्टेयर में से रकबा 0.0343 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 से 5 के खसरा नम्बर 509/361 रकबा 3.5936 हैक्टेयर में से रकबा 0.0995 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 से 17 के खसरा नम्बर 367 रकबा 42.7247 हैक्टेयर में से रकबा 0.0673 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 18 के खसरा नम्बर 368 रकबा 7.0091 हैक्टेयर में से रकबा 0.1800 हैक्टेयर तथा मौजा खेजड़ली में विप्रार्थी संख्या 19 से 21 के खसरा नम्बर 491/373 रकबा 8.3147 हैक्टेयर में से रकबा 0.1538 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 22 के खसरा नम्बर 492/373 रकबा 8.3147 हैक्टेयर में से रकबा 0.0517 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 23 व 24 के खसरा नम्बर 478/372 रकबा 9.5020 हैक्टेयर में से रकबा 0.1201 हैक्टैयर, विप्रार्थी संख्या 24 व 25 के खसरा नम्बर 479/372 रकबा 2.7761 हैक्टेयर में से रकबा 0.0625 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 24 व 26 के खसरा नम्बर 480/372 रकबा 5.0182 हैक्टेयर में से रकबा 0.2134 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 24 व 27 के खसरा नम्बर 481/372 रकबा 2.7761 हैक्टेयर में से रकबा 0.0278 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है। विप्रार्थी संख्या 18 से 27 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर अपनी खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता हेतु बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 3, 6, 9, 10 व 12 से 15 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 18 से 27 के अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तावित रास्ता बिना प्रतिफल राशि लिये कटाण किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 3, 6, 9, 10 व 12 से 15 के अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार होने तथा उन्हे सूचित नहीं किये जाने का कथन करते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है तथा रास्ते हेतु मौजा थूम्बली (नवसृजित ग्राम गंगासिंह नगर) में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 513/363 रकबा 23.4798 हैक्टेयर में से रकबा 0.0343 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 से 5 के खसरा नम्बर 509/361 रकबा 3.5936 हैक्टेयर में से रकबा 0.0995 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 से 17 के खसरा नम्बर 367 रकबा 42.7247 हैक्टेयर में से रकबा 0.0673 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 18 के खसरा नम्बर 368 रकबा 7.0091 हैक्टेयर में से रकबा 0.1800 हैक्टेयर तथा मौजा खेजड़ली में विप्रार्थी संख्या 19 से 21 के खसरा नम्बर 491/373 रकबा 8.3147 हैक्टेयर में से रकबा 0.1538 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 22 के खसरा नम्बर 492/373 रकबा 8.3147 हैक्टेयर में से रकबा 0.0517 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 23 व 24 के खसरा नम्बर 478/372 रकबा 9.5020 हैक्टेयर में से रकबा 0.1201 हैक्टैयर, विप्रार्थी संख्या 24 व 25 के खसरा नम्बर 479/372 रकबा 2.7761 हैक्टेयर में से रकबा 0.0625 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 24 व 26 के खसरा नम्बर 480/372 रकबा 5.0182 हैक्टेयर में से रकबा 0.2134 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 24 व 27 के खसरा नम्बर 481/372 रकबा 2.7761 हैक्टेयर में से रकबा 0.0278 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है। विप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:59:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

संख्या 18 से 27 की ओर से अपनी खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता हेतु बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 3, 6, 9, 10 व 12 से 15 के अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार होने तथा उन्हे सूचित नहीं किये जाने का कथन किया गया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जिससे स्पष्ट हो कि मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई हो। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि में से विप्रार्थी संख्या 18 से 27 के खातेदारान् द्वारा बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान करने उनकी भूमि निःशुल्क रूप से तथा शेष विप्रार्थीगण की रास्ते हेतु उपयोग ली जाने वाली भूमि में वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 408/374 रकबा 18.6155 हैक्टेयर मौजा खेजड़ली, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 18 के खसरा नम्बर 368 रकबा 7.0091 हैक्टेयर में से रकबा 0.1800 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 19 से 21 के खसरा नम्बर 491/373 रकबा 8.3147 हैक्टेयर में से रकबा 0.1538 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 22 के खसरा नम्बर 492/373 रकबा 8.3147 हैक्टेयर में से रकबा 0.0517 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 23 व 24 के खसरा नम्बर 478/372 रकबा 9.5020 हैक्टेयर में से रकबा 0.1201 हैक्टैयर, विप्रार्थी संख्या 24 व 25 के खसरा नम्बर 479/372 रकबा 2.7761 हैक्टेयर में से रकबा 0.0625 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 24 व 26 के खसरा नम्बर 480/372 रकबा 5.0182 हैक्टेयर में से रकबा 0.2134 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 24 व 27 के खसरा नम्बर 481/372 रकबा 2.7761 हैक्टेयर में से रकबा 0.0278 हैक्टेयर भूमि में बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान करने पर उक्त भूमि का निःशुल्क रूप से तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 513/363 रकबा 23.4798 हैक्टेयर में से रकबा 0.0343 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 से 5 के खसरा नम्बर 509/361 रकबा 3.5936 हैक्टेयर में से रकबा 0. 0995 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 से 17 के खसरा नम्बर 367 रकबा 42.7247 हैक्टेयर में से रकबा 0. 0673 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 08.[illegible].2025 को [illegible] सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:59:20 IST
Reason: SelfAttested